

**बिहार सरकार
सहकारिता विभाग**

पत्रांक /पटना, दिनांक
3/सह.ब.यो.(आ.)- 16/2012

प्रेषक,

बलराम सिंह,

सरकार के अपर सचिव-सह-अपर निबंधक, स.स.(मुख्यालय) बिहार, पटना।

सेवा में,

सहायक निबंधक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
कार्यालय निबंधक, स.स., बिहार, पटना।

विषय:-वित्तीय वर्ष 2012-13 में बिहार राज्य योजना के अंतर्गत पैक्सों तथा व्यापार मंडलों में गोदाम निर्माण के लिए ₹ 24,47,04,000.00 (चौबीस करोड़ सैंतालिस लाख चार हजार) रुपये का आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार विभागीय राज्यादेश ज्ञापांक 215 दिनांक 23.08.12 तथा ज्ञापांक 223 दिनांक 03.09.12 के आलोक में निम्नलिखित बजट शीर्ष के अंतर्गत मूल उपबंध एवं प्रथम अनुपूरक आगणन के माध्यम से उपबंधित राशि से कालम-3 में अंकित राशि ₹ 24,47,04,000.00 (चौबीस करोड़ सैंतालिस लाख चार हजार) रुपये का आवंटन दिया जाता है :-

बजट शीर्ष	पूर्व में आवंटित 2012-13	वर्तमान आवंटन 2012-13	कुल आवंटित राशि (2012-13)
1	2	3	4
आयोजना व्यय(विस्तृत), मांग संख्या 9, मुख्य शीर्ष - 2425 -सहकारिता, उपमुख्य शीर्ष -00, लघुशीर्ष-108-अन्य सहकारी समितियों को सहायता, उपशीर्ष - 0114- गोदाम निर्माण हेतु सहकारी समितियों को अनुदान विपत्र कोड P 2425001080114 विषय शीर्ष 31 05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण	₹ 45,44,50,000.00 (पैंतालिस करोड़ चौवालिस लाख पचास हजार)	₹ 24,47,04,000.00 (चौबीस करोड़ सैंतालिस लाख चार हजार)	₹ 69,91,54,000.00 (उनहत्तर करोड़ एकानवे लाख चौवन हजार)

- अद्यतन संशोधित वित्त विभाग के परिपत्र सं० 2561 दि० 17.04.98 के आलोक में निर्धारित शर्तों/अनुदेशों के अनुपालन की जबाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

ह०/-

(बलराम सिंह)

सरकार के अपर सचिव-सह-अपर निबंधक,
स.स.(मुख्यालय)

ज्ञापांक /पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को मुहरबंद लिफाफे में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव-सह-अपर निबंधक,
स.स.(मुख्यालय)

ज्ञापांक 18(आ०) /पटना, दिनांक 19.12.2012

प्रतिलिपि:- निबंधक, स.स., बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-6, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/विपत्र शाखा (प्रशाखा-1 को दो मूल प्रतियों में), कार्यालय निबंधक, स.स., बिहार, पटना तथा कम्प्यूटर कोषांग (वेबसाइट पर डालने हेतु) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव-सह-अपर निबंधक,
स.स.(मुख्यालय)